



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकसिंहास सत्यमेव जयते
Dedicated to Truth in Public Interest



कावेरी

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
कर्नाटक, बेंगलूरु

अंक 29



वर्ष- 2024

कावेरी

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
कर्नाटक, बेंगलूरु 560001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

कावेरी हिंदी पत्रिका

अंक 29

प्रकाशन
कावेरी हिंदी गृह पत्रिका

प्रकाशक
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
कर्नाटक, बेंगलूरु

अंक: 29

उद्देश्य
राजभाषा का संवर्धन एवं कार्यालयीन कामकाज में
हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ।

मूल्य
राजभाषा के प्रति निष्ठा

आवरण पृष्ठ
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय

कावेरी परिवार

मुख्य संरक्षक

स्मिता गोपाल
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

संरक्षक

के. विघ्नेश्वरन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

संपादक

उदय प्रताप सिंह
हिंदी अधिकारी

सह संपादक

निशा कुमारी
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

मनीषा विश्वकर्मा
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

अनुक्रमणिका

क्रम सं०

विवरण

पृष्ठ संख्या

1	माननीय गृह मंत्री जी का संदेश	6
2	प्रधान संरक्षक का संदेश	8
3	संदेश - उप महालेखाकार	9
4	संदेश - वरिष्ठ लेखाधिकारी	10
5	संपादकीय	11
6	राजभाषा संबंधी प्रमुख आयाम	12
7	वार्षिक कार्यक्रम	15
8	लेख	17
9	पहला सुख निरोगी काया - उदय प्रताप सिंह	18
10	समवेशी विकास - मनीषा विश्वकर्मा	21
11	कृत्रिम बुद्धिमत्ता - हिमांशु पटेल	23
12	एक अनोखा राज्य:कर्नाटक - मनीषा विश्वकर्मा	24
13	आत्मनिर्भर भारत - के. एन. जयश्री	28
14	कविता	29
15	विश्वगुरु का पैगाम - उदय प्रताप सिंह	30
16	कौन हूँ मैं - शिवांकू चतुर्वेदी	31
17	कृषक जीवन - राहुल शर्मा	32
18	अधूरा मन - शिवांकू चतुर्वेदी	33
19	गाँव याद आता है - हिमांशु पटेल	34
20	दाता - उदय प्रताप सिंह	35
21	नवीन गतिविधियाँ - छायाचित्र	36
22	सेवानिवृत्त पदाधिकारी	45
23	कार्यालयीन द्विभाषी वाक्यांश	46
24	रोचक पहेलियाँ	47
25	देखो हस न देना	48

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार



प्रिय देशवासियो!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम 'हिंदी' है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों; हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, **"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।"** यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि **विद्यापति** की शब्दावली में कहूँ तो **‘देसिल बयना सब जन मिट्टा’** यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन-जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **‘कंठस्थ’** का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न **‘विश्व हिंदी सम्मेलन’** में **‘न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन’** के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

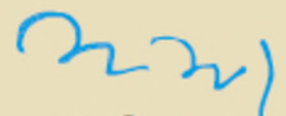
राजभाषा विभाग की एक नई पहल **‘हिंदी शब्द सिंधु’** शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने **‘लीला हिंदी प्रवाह’** मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा-भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी-अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई-मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023


(अमित शाह)



संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यालय की गृह-पत्रिका कावेरी के 29वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। विभागीय पत्रिकाएँ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालय के कार्मिकों में रचनात्मकता एवं सृजनशीलता को दर्शाती हैं। राजभाषा हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक दायित्व ही नहीं है अपितु संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोना है। हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए अधिकाधिक कार्यालयी कार्य राजभाषा हिंदी में करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कार्मिकों के प्रयास से पत्रिका का सफल प्रकाशन संभव हो पाया है।

आशा है कि भविष्य में भी पत्रिका का प्रकाशन निरंतर होता रहेगा। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनायें एवं बधाई।

स्मिता गोपाल
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)



संदेश

मुझे अपार हर्ष है कि हमारी कार्यालयी गृह-पत्रिका कावेरी के 29वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हमारी पत्रिका नए कलेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार सहित कार्यालय के कार्मिकों की रचनात्मकता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में हिंदी देश की राजभाषा ही नहीं, अपितु वैश्विक स्तर की भाषा बन चुकी है। कावेरी पत्रिका का प्रकाशन इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुझे आशा है कि कार्यालय के कार्मिक इसी तरह राजभाषा के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान देते रहेंगे।

जय हिंद, जय हिंदी !

के. विघ्नेश्वरन

के. विघ्नेश्वरन
उप महालेखाकार (प्रशासन)



संदेश

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी “कावेरी” का 28वां अंक नए रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका कार्मिकों की अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान करती है जो कार्यालय में हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह दायित्व है कि हम अधिकाधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने को प्रयासरत रहें। राजभाषा नीति का आधार प्रेरणा और प्रोत्साहन है इसीलिए हम स्वयं हिंदी में कार्य करें और अपने सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करें।

मौलिक लेखन और कामकाज में अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही सुग्राह्य होती है। पत्रिका में मौलिकता और भाषा की सरलता एवं सहजता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। मैं अपने कार्यालय के सभी रचनाकारों एवं पत्रिका से जुड़े सभी कार्मिकों को बधाई देती हूँ तथा पाठकों का धन्यवाद करती हूँ कि जिनके सुझावों से पत्रिका में निरंतर सुधार संभव हो पाता है। इस वर्ष भी आपके बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। शुभकामनाओं सहित।

जय हिंद, जय हिंदी !

शिवप्रिया बी.

शिवप्रिया बी.
वरिष्ठ लेखाधिकारी (मा.सं.वि.)



संपादकीय

कार्यालयीन हिंदी गृह पत्रिका कावेरी का नूतन अंक आप सभी को प्रेषित करते हुए अत्यंत खुशी महसूस कर रहा हूं। यह कावेरी का उन्तीसवां अंक है। इस अंक में पत्रिका की साजसज्जा को लेकर नए प्रयोग किए गए हैं, आशा है कि आप लोगों को नए प्रयोग पसंद आयेंगे।

कावेरी पत्रिका कार्यालय में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, कार्यालय के पदाधिकारी पत्रिका के लिए अपनी अमूल्य रचनाएं प्रस्तुत करके हिंदी के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत अंक में प्रकाशित रचनाएं न सिर्फ पदाधिकारियों के हिंदी भाषा प्रेम को दर्शाती हैं बल्कि उनकी भावनाओं को भी अभिव्यक्त करती हैं। जिस प्रकार हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की सामूहिक भावना को व्यक्त करती है।

आज हर भारतवासी गर्व से हिंदी को अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए अपना रहा है। हिंदी लिखने में अब पहले जैसी झिझक नहीं रही है, अब लोग गर्व से हिंदी लिखते और बोलते हैं। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के दौरान यह देखने में आया है कि देश में बड़ी संख्या में हिंदी रचनाएं लिखी जा रही हैं और प्रकाशित भी हो रही हैं। हाल के कुछ वर्षों में हिंदी ने दुनिया में वह मुकाम हासिल किया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यदि यह कहा जाए कि आज दुनिया में हिंदी का डंका बज रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी।

पत्रिका में अपनी अमूल्य रचनाओं के माध्यम से योगदान करने वाले सभी रचनाकारों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी लोग इसी तरह सहयोग करते रहेंगे और पत्रिका के प्रति अपना स्नेह बनाए रखेंगे।

उदय प्रताप सिंह
हिंदी अधिकारी

राजभाषा संबंधी प्रमुख आयाम

संवैधानिक प्रावधान- एक नज़र में

संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है अर्थात् इसमें संघ के सरकारी काम काज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। संविधान के **भाग-17** में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं जिनमें **अनुच्छेद-343 से 351 तक 9** अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित हैं जिनमें हिंदी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

संविधान के **अनुच्छेद 343 (1)** के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा।

अनुच्छेद-343 (2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी, 1965 तक हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा।

अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकती है।

अनुच्छेद-344 (1) संविधान के लागू होने के 5 साल बाद 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई।

अनुच्छेद-344 (2) के अनुसार यह आयोग अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी काम काज में हिंदी के क्रमिक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद-344 (3) के अनुसार आयोग की सिफारिश पर राय देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही संसद द्वारा अनुच्छेद-343 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

अनुच्छेद-345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपने यहां प्रयुक्त किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषाओं को अपनी राजभाषा चुन सकते हैं या चाहे तो अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकते हैं।

अनुच्छेद-345 पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राज्यों को अपनी राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए केंद्र की भांति 15 सालों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी वे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अंग्रेजी की जगह सभी कार्यों के लिए किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा या राजभाषाएं अपनाने के लिए स्वतंत्र थे।

अनुच्छेद-346 में संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

अनुच्छेद-347 में राष्ट्रपति राज्य की मांग के आधार पर किसी भी भाषा को सरकारी कामकाज के लिए मान्यता दे सकते हैं।

अनुच्छेद-348 खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी।

अनुच्छेद-348 के खंड (2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्रवाइयों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद-349 में यह कहा गया है कि 348 (1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के पहले कानून बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

अनुच्छेद-350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन या अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है।

अनुच्छेद-350 (क) तथा 350 (ख) के द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की गई है।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश - 351वें अनुच्छेद में हिंदी के विकास के विषय में संघ सरकार को निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं-

हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भाषा की आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं की रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2024-25

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं. कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2. हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3. हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4. हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5. हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6. हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7. हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8. द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9. जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11. वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13. (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14. राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%
(न्यूनतम अनुभाग)			
सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।			

लेख

कला एक साधना है, योग है,
जो अंतर्मन से निकलती है।



पहला सुख निरोगी काया

उदय प्रताप सिंह
हिंदी अधिकारी

स्वास्थ्य हमारे जीवन की सर्वोत्तम पूंजी है। मनुष्य के जीवन की सफलता उसके विचारों पर निर्भर करती है, विचार मानसिक स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि तन और मन स्वस्थ हैं तभी हम जीवन का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना पहली शर्त है। जैसा कि कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ और यदि तन-मन दोनों स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य परमावश्यक है।

शरीर यदि स्वस्थ न हो तो जीवन एक बोझ बन जाता है, जीवन से खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं, जीवन से उत्साह समाप्त हो जाता है और उत्साह विहीन जीवन मौत से भी बदतर होता है। जीवन से उत्साह समाप्त होने का अर्थ है जीवन का समाप्त हो जाना। उत्साह सफलता का द्योतक है, उत्साह ही जीवन है, जीवंतता का प्रमाण है। उत्साहपूर्ण प्रफुल्लित मन से प्रारंभ किए गए किसी भी कार्य की आधी सफलता पहले ही निश्चित हो जाती है और बची हुई आधी सफलता मेहनत से आसानी से हासिल की जा सकती है। जीवन में उत्साह और उमंग का होना जीवन के प्रवाहमान होने का प्रमाण है।

स्वास्थ्य, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब बस बीमार न होना नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित रूप होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं और जीवन को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। यदि हम कहें कि सफल जीवन की आधारशिला स्वास्थ्य पर ही टिकी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

आज जब समाज में स्वास्थ्य की चर्चा होती है तो पता चलता है कि वर्तमान में शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक गंभीर समस्या मानसिक स्वास्थ्य की हो गई है। पूरी दुनिया में जिस तीव्र गति से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी है उसने चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। पूरी दुनिया में कोविड महामारी ने जिस तरह से ताण्डव मचाया वह किसी से छुपा नहीं है और उससे कोई भी अछूता नहीं रहा। कोविड महामारी के बाद मानसिक तनाव के मामलों में पूरी दुनिया में तेजी से वृद्धि हुई है और अब इसने एक नई समस्या का रूप ले लिया है।



आज मनुष्य का जीवन जिस तनावग्रस्त अवस्था से गुजर रहा है ऐसी स्थिति पूर्व में कदाचित कभी नहीं उत्पन्न हुई थी। बड़े से बड़ा आदमी, समझदार लोग, जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त कर चुके लोग, और विद्यार्थी और छोटे-छोटे बच्चे जिस तरह अवसाद में मृत्यु को गले लगाकर अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं यह एक बहुत भयानक स्थिति है और इस पर सरकारों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को गहराई से चिंतन करना चाहिए।

आज हमारा समाज जहां एक तरफ भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है वहीं वह अपनी संस्कृति और मूल्यों से विमुख होकर पतन के रास्ते पर भी तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए सुखद नहीं मानी जा सकती है। समाज की प्रगति के लिए उस समाज के नागरिकों का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। हमारी संस्कृति, नैतिक मूल्यों, और हमारी परंपराएं हमारे जीवन के लिए आक्सीजन का काम करते हैं। परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़े रहती हैं और उनसे सीख लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।

हमारे खान-पान, विचारों और हमारी जीवन शैली का हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। यदि आज हम प्रचलित आधुनिक जीवन शैली को देखें तो पता चलता है कि हमारा रहन सहन और खान पान तेजी से बदला है और हम अपने परंपरागत खान पान से काफी दूर हो चुके हैं। हमने अंधानुकरण में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को अपने जीवन में बिना कुछ सोचे समझे अपना लिया है और उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। अन्यथा हमारी संस्कृति में बच्चों में मानसिक अवसाद जैसी कभी कोई चीज़ नहीं थी।

वर्तमान समाज में समाजिक और नैतिक शिक्षा के गिरते स्तर ने भी समाज को रुग्ण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने समाजिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के महत्त्व को समझने में जो भूल की उसका परिणाम आज पूरा समाज और पूरी दुनिया भुगत रही है। अनुशासन के स्तर में गिरावट से भी समाज को गहरी क्षति पहुंची है। अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्र में आवश्यक है चाहे फिर वह खान पान हो, रहन सहन हो या सफलता प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना हो। कोई भी समाज जितना अधिक अपनी जड़ों से कटेगा उतना अधिक उसका पतन निश्चित है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी पेड़ अपनी जड़ों से कट कर कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता है।

स्वास्थ्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां एक तरफ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे खानपान पर निर्भर करता है वहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे विचारों पर निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विचार एक बीज की भांति होता है, हमें विचारों को अपने दिमाग में संग्रहित करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। संग्रहित विचार दिमाग में उथल-पुथल मचाते हैं और हमारे दिमाग में बेचनी पैदा करते हैं। इसलिए रचनात्मक विचारों को लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी है, विचारों को साझा करने से समाज और व्यक्ति दोनों का कल्याण होता है और आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिलता है।

विचारों की प्रकृति और उनकी रचनात्मकता हमारे परिवेश पर निर्भर करती है हम जिस परिवेश और समाज में रहते हैं उसका वातावरण, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, आचरण और व्यवहार हमारे विचारों को प्राभावित करते हैं। रुग्ण और कमजोर मस्तिष्क में रचनात्मक विचार उत्पन्न नहीं हो सकते, स्वस्थ मस्तिष्क में ही रचनात्मक विचारों का उद्भव होता है, रचनात्मकता का जन्म प्रसन्न चित्त में ही संभव है। अतः स्वस्थ समाज के लिए नागरिकों का तन और मन दोनों का स्वस्थ होना आवश्यक है और समाज के सभी वर्गों को इसके लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ समाज प्रदान कर सकें।



समावेशी विकास

मनीषा विश्वकर्मा
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उस राष्ट्र के हर समुदाय का हर क्षेत्र में मूलभूत एवं उच्च स्तर पर विकास हो। भारत की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति ने सर्वथा इसी ओर कदम बढ़ाया है। वैज्ञानिकों एवं विभिन्न दर्शनशास्त्रियों ने हमेशा से ही यही माना है की मानव विकास के लिए जरूरी है की हर क्षेत्र पर समान रूप से रणनीति बनाई जाए। आधुनिक काल में समावेशी विकास के बहुत से आयामों को साझा किया गया है परंतु इनमें से तीन मुख्य रूप से उभर कर आते हैं-अर्थव्यवस्था, सामाजिक समावेश, और पर्यावरण। यदि इन तीन मूलभूत क्षेत्रों का विकास किया जाए तो मानव समाज के पूर्ण उत्थान के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगा।

राष्ट्र के निर्माण में नवीन आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। राष्ट्र की नीतियों का लक्ष्य केवल आय का पुनर्वितरण नहीं होता यद्यपि उत्पादक रोजगार भी होता है। समावेशी विकास के नीति महज़ रोजगार पैदा करने हेतु सीमित नहीं है बल्कि उत्पादकता बढ़ाना भी उसका मुख्य लक्ष्य है।

समावेशी विकास की ओर अग्रसर भारत के राष्ट्र निर्माण की नींव भारत के संविधान में पाई जाती है। भारतीय संविधान में भेदभाव को रोकने के लिए समावेशी खंड डाले गए हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 राज्य के तहत रोजगार और कार्यालय के समान अवसरों पर जोर देता है। अनुच्छेद 16(4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देता है। संविधान में और भी कई अनुच्छेद हैं, जो समावेशी विकास की ओर संकेत करते हैं।

समावेशी विकास के विभिन्न आयाम हैं - कौशल विकास से लेकर वित्तीय समावेश, और आगे सामाजिक समावेश। स्वतंत्रता हासिल करने के उपरांत, भारतीय सरकार विभिन्न तरीकों से इन सभी आयामों को सफल करने हेतु प्रयासरत रही है। समावेशी विकास का सीधा नाता भारत की बढ़ती आबादी से है। भारत की जनसंख्या आसमान तो छू रही है परन्तु इसका सबसे बड़ा फायदा है - जनसांख्यिकी लाभ। रोजगार क्षमता, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल पर आश्रित कार्यशील आयु वर्ग, कौशल विकास के माध्यम से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।



सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण परिषद जैसे आयोगों एवं संगठनों की स्थापना की गई है। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में सीटों का आरक्षण लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देता है। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण मौजूद है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण राजनीतिक समावेश को बढ़ावा देता है। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया गया है।

समावेशी विकास की राह आसान नहीं है। इसमें अनेकों अड़चनें हैं जो इसकी रफ्तार को धीमी करती हैं। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे, कृषि पिछड़ापन, राजनीतिक उथल-पुथल, आदि समावेशी विकास को असलियत में तब्दील होने से रोकती हैं। इसके साथ ही, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय में निम्न स्तर और धीमी वृद्धि, बच्चों में कुपोषण, कृषि क्षेत्र में कम श्रम उत्पादकता, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता में गिरावट, इत्यादि जैसी और भी कई चुनौतियाँ हैं।

समावेशी विकास के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र अपनी क्षमता को निखार सकता है। ई-गवर्नेंस के माध्यम से समावेशी विकास काफी हद तक सुचारु रूप से चलता नज़र आ रहा है। मिशन आयुष्मान, जन-धन योजना, और न्यू इंडिया @75 में भी नीति आयोग द्वारा समावेशी विकास को ध्यान में रखकर कई समाधान साझा किए गए हैं।





कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आरंभ 1950 के दशक में हो गया था। लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की, उसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ए.आई. का अर्थ बनावटी रूप से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। इसके जरिये कम्प्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है: जिसे उसी क्रियाविधि के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।

इसके जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार ये बुद्धिमान मशीनों या बुद्धिमान कम्प्यूटर प्रोग्राम के सृजन का विज्ञान है। ए.आई. कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या मस्तिष्क की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है की मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, कैसे समस्या हल करता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है।

भारत में यह क्षेत्र शैशवास्था में है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। सरकार ने उद्योग जगत से ए.आई. के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग की अपील की है। भविष्य में ये मशीनें कई क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं की जगह ले लेंगी। कम्प्यूटर विज्ञान में ए.आई. एक लोकप्रिय क्षेत्र बनता जा रहा है।

कई मजदूरों का काम एक ही मशीन द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यह हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। यदि हम पूरी तरह मशीनों पर आश्रित हो जाएँगे तो मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मशीनों का उपयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहाँ उसकी वास्तव में आवश्यकता हो। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।

एक अनोखा राज्य: कर्नाटक

मनीषा विश्वकर्मा
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

कर्नाटक, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह उत्तर में गोवा और महाराष्ट्र, पूर्व में तेलंगाना, दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल और पश्चिम में अरब सागर राज्यों से घिरा है। इसकी तटरेखा लगभग 200 मील (320 किमी) तक फैली हुई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु। हम आज इस अद्भुत राज्य के प्रमुख नगरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं उद्यानों के बारे में जानेंगे।

बीजापुर

बीजापुर शहर की स्थापना कल्याणी चालुक्यों ने 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अपने शासन काल के दौरान की थी। तब शहर को विजयपुरा कहा जाता था। बीजापुर किले में कई ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं, जैसे, किलेबंदी, मंदिर, मकबरे, मस्जिद, महल, उद्यान आदि।



इब्राहिम रोज़ा, बीजापुर

शहर के पश्चिमी इलाके में, इमारतों का एक उत्कृष्ट समूह है जिसमें इब्राहिम आदिल शाह की कब्र और एक मस्जिद की जुड़वां इमारतें हैं। प्रत्येक कोने पर पतली मीनारों से सुशोभित, अत्यंत लालित्य और नाजुकता, ठीक पत्थर के तंतु और सजावटी काम भी है। इब्राहिम रौजा को भारत में सबसे सुंदर आनुपातिक इस्लामी स्मारकों तैयार करने और ताजमहल के लिए एक प्रेरणा के रूप में दर्जा दिया गया है। मस्जिद पांच भव्य मेहराबों के साथ एक सुंदर इमारत भी है, जो नक्काशीदार पदकों और लटकती पत्थर की जंजीरों से अलंकृत है।

हम्पी

हम्पी का भव्य स्थल विजयनगर के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। इसके शानदार समृद्ध राजकुमारों ने द्रविड़ मंदिरों और महलों का निर्माण किया, जिन्होंने 14वीं और 16 वीं शताब्दी के बीच यात्रियों की प्रशंसा जीती।

हम्पी की शानदार सेटिंग में तुंगभद्रा नदी, टेढ़ी-मेढ़ी पहाड़ी श्रृंखलाओं और खुले मैदानों का प्रभुत्व है, जिसमें व्यापक भौतिक अवशेष हैं। इनमें कृष्ण मंदिर परिसर, नरसिंह, गणेश, हेमकूट मंदिरों का समूह, अच्युतराय मंदिर परिसर, विठ्ठल मंदिर परिसर, पट्टाभिराम मंदिर परिसर, कमल महल परिसर पर प्रकाश डाला जा सकता है। हम्पी में अधिकांश संरचनाओं का निर्माण स्थानीय ग्रेनाइट, जली हुई ईंटों और चूने के मोर्टार से किया गया है। पत्थर की चिनाई और लालटेन छत वाली पोस्ट और लिंगेल प्रणाली सबसे पसंदीदा निर्माण तकनीक थी।



हम्पी

राष्ट्रीय उद्यान: कुद्रेमुख

कर्नाटक कई वन्यजीवों और पक्षी अभयारण्यों का घर है। 'वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स' की जंगली दुनिया कुछ ऐसी है जो सभी आयु समूहों को लुभाती है। यात्री, फोटोग्राफर, प्रकृति और वन्यजीव प्रेमी हरे-भरे और देहाती हरियाली में डूबने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लगभग 20% वन क्षेत्र के साथ, कर्नाटक, ब्लैक पैंथर, तेंदुए, बाघ, हाथी, सुस्त भालू और कई अन्य जंगली जानवरों को आश्रय देता है। कर्नाटक में 20 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

घोड़े के सिर के आकार जैसा दिखने वाली पहाड़ी की चोटी से अपना नाम प्राप्त करते हुए, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बाघ, तेंदुए, जंगली कुत्ते, मालाबार गिलहरी, आम लंगूर, सुस्त भालू, साही, सियार आदि जैसे प्रसिद्ध आकर्षणों के साथ-साथ वनस्पतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है।

कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान चिक्कमगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिलों में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव हैं जैसे तेंदुआ, मालाबार विशाल गिलहरी, सुस्त भालू, गौर, सांभर, सियार, नेवला, बाघ, जंगली कुत्ता, आम लंगूर, साही, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण और विशाल उड़ने वाली गिलहरी। पार्क विभिन्न प्रकार के पक्षियों जैसे मालाबार ट्रोगन, मालाबार सीटी बजाने वाले श्रश और शाही कबूतर का घर है।

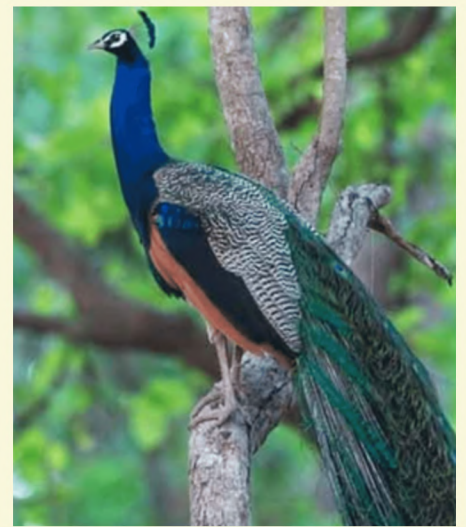


कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान

मोर अभयारण्य: आदिचुंचनगिरी

भारत के राष्ट्रीय गौरव, राजसी मोर, की रक्षा के लिए, आदिचुंचनगिरी मोर अभयारण्य उठाए गए कई कदमों में से एक था। ये तीतर जनजाति के पक्षी तेजतर्रार लेकिन शर्मीले होते हैं और मोर आश्रय के रूप में, आदिचुंचनगिरी मयूर अभयारण्य वास्तव में उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है और अत्यंत सावधानी के साथ ऐसा करता है।

मोर की बढ़ती आबादी के कारण नागमंगला तालुक में कर्नाटक के मांड्या जिले में 1981 में एक अभयारण्य के रूप में स्थापित, अभयारण्य इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए किए गए सख्त ऐतिहासिक मानदंडों का पालन करता है, जिसका श्रेय स्वामी आदिचुंचनगिरी और उनके शिष्यों को दिया जाना चाहिए, जिनकी भावनाएं इन शांत पक्षियों के प्रति दृष्टि की सबसे हड़ताली विशेषताओं में से एक साबित होती हैं। पेड़ों, झाड़ियों और अन्य वृक्षारोपण से घिरा, इस अभयारण्य की जीवंत हरी-भरी वन श्रृंखला मंत्रमुग्ध जंगल की सुंदरता को प्रतिध्वनित करती है और उन पर्यटकों के अनुभव को और बढ़ाती है जो पहले से ही इन तेजतर्रार चोंच की सरासर भव्यता से हतप्रभ हैं।



कर्नाटक एक अनोखा राज्य है जिसकी गुणवत्ता उसके उद्यानों, झीलों, मंदिरों, से लेकर, उसके लोगों एवं भाषा तक पहुँची हुई है। यहाँ पर महिलाओं का अति सम्मान किया जाता है जो एक सभ्य समाज की निशानी है। कर्नाटक की राजधानी "बेंगलूरु" को "सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया" यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पर युवाओं को अपने उद्यमिता के परचम हिलाने के कई अवसर मिलते हैं। कर्नाटक बहुत सारी संस्कृतियों का मिश्रण है।

विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करने में कर्नाटक कभी पीछे नहीं रहा है और यह तय है की अपनी सभी सीमाओं को लांघ कर कर्नाटक एक समृद्ध और सम्पन्न समाज बन भारतीय तिरंगे में शुभ्रता लाता रहेगा।

आत्मनिर्भर भारत

के. एन. जयश्री राज
सहायक लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)

आत्मनिर्भर का अर्थ है स्वावलंबी होना व किसी भी कार्य के लिए किसी अन्य पर आश्रित ना रहना। भारत एक प्राचीन देश है, जिसकी संस्कृति से हम सदियों से इस महान देश की आत्मनिर्भरता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज़ादी के पूर्व, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वदेशी को लेकर बहुत सपने देखे थे। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, खादी एवं हाथ से बुने वस्त्रों का उपयोग, अँग्रेजी हटाओ के नारे के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने हेतु मुहिम चलाई। लेकिन यह प्रयास गरीबी और भुखमरी के कारण कुछ हद तक ही सफल रहा। गांधीजी की पहल ने आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत रास्ता बनाया।

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ खेती, कुटीर उद्योग और अन्य लघु उद्योग का एक महत्वपूर्ण सामंजस्य है। इसी के कारण हम अपना अनाज खुद उगाते हैं और जीवन-व्यापन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। कुटीर उद्योग में हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन विश्व प्रसिद्ध है। इस पर हम भारतवासियों को गर्व होना चाहिए।

कुछ समय पहले, सम्पूर्ण संसार में तीव्र गति से फैली “कोरोना महामारी” ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया था और जीवन व्यापन में कई कठिनाइयाँ पैदा की थी। लॉकडाऊन के कारण हर जगह पर तरह-तरह के संकट पैदा होने लगे। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत योजना” के तहत एक भारी राशि देशहित में लगाई। इसका मुख्य लक्ष्य था की हम आत्मनिर्भर बनें और किसी और देश पर अपनी मांगों के लिए आश्रित न रहें। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ यह भी है की हम अपनी ही नहीं, हमारे आस पास के लोगों एवं देशों की भी सहायता करने में आगे रहें।

आत्मनिर्भर भारत के 4 स्तम्भ माने गए हैं – अर्थव्यवस्था, तंत्र, मांग, जनसंख्या और संरचना। इस योजना के अधीन भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उत्तमता से उचाइयाँ हासिल की जैसे पीपीई किट्स, एन-95 मास्क, और वेंटिलेटर का उत्पादन और निर्यात। भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार आने लगा। लोग आत्मनिर्भर होने के साथ खुद पर विश्वास करने लगे।

आत्मनिर्भरता के कई फायदे हैं। देश के आत्मनिर्भर होने के कारण गरीबी हटती है, रोजगार उत्पन्न होता है एवं देश के युवाओं को पहचान मिलती है जिसके कारण वे बाहरी एवं आंतरिक रूप से विकसित हो जीवन में उचाइयाँ हासिल कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास बढ़ता है जो देश को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है।

कविता

मैंने देखा
एक बूँद सहसा
उछली सागर के झाग से :
रँग गई क्षण-भर
ढलते सूरज की आग से।
मुझको दीख गया :
सूने विराट के सम्मुख
हर आलोक के सम्मुख
हर आलोक-छुआ अपनापन
है उन्मोचन
नश्वरता के दाग से!

अज्ञेय





विश्वगुरु का पैगाम

उदय प्रताप सिंह
हिंदी अधिकारी

प्राण प्रतिष्ठा रामलला की,
अखिल विश्व में जय जयकार।
साकार हुआ है रामराज्य,
खुला अयोध्या का दरबार ॥

नव वर्ष के प्रथम माह में,
दूर हुआ तम सदियों का।
सरयू तट पर लौटी रौनक,
मंत्रोच्चारण मुनियों का।

पुन्य परिश्रम फलित हुआ,
त्याग तपस्या संतों की।
जप तप ध्यान दान न्योछावर,
विजय हुई है भक्तों की ॥

राम नगरिया सजी अयोध्या,
मंद-मंद मुस्काए काशी।
भावविहल हैं आशुतोष प्रभु,
पुलकित है हर भारतवासी ॥

आर्यों ने इतिहास गढ़ा है,
भारत माँ का मान बढ़ा है।
जागा भारत भाग्य आज है,
आया फिर से रामराज है ॥

गूँज रहा चहुं ओर नाम है,
सब के मुख पर राम नाम है।
सुर नर मुनि सब पूर्णकाम हैं,
जिनके राजा स्वयं राम हैं ॥

भव्य अयोध्या नगर नाम है,
रामलला का दिव्य धाम है।
परम अलौकिक दिव्य मूर्ति है,
अखिल विश्व में फैली कीर्ति है ॥

त्रेता में थी मनी दिवाली,
लौटी है फिर से खुशहाली।
घर घर दीप जले हैं फिर से,
राम राम कह निकले घर से ॥

हृदय भाव से भरा हुआ है,
एक नया युग शुरू हुआ है।
सत्य सनातन विजित हुआ है,
संस्कृति का उत्थान हुआ है ॥

गगन चूमती धर्म ध्वजा,
सरयू में उठ रहीं तरंगें।
कल कल बहता निर्मल जल,
जन मन में उठ रहीं उमंगें ॥

तीनों लोक अचंभित हैं,
देख राष्ट्र का पुनर्त्थान।
भारत माता गर्वित हैं,
विश्वगुरु का है पैगाम।



कौन हूँ मैं

शिवांकू चतुर्वेदी
लिपिक

मैं वो रंग हूँ जो चढ़ता ही नहीं,
मैं वो फूल हूँ जो खिलता ही नहीं।

मैं वो होंठ हूँ जो मुस्कुरा नहीं सकते,
मैं वो गीत हूँ जिसे लोग गा नहीं सकते।

मैं वो सवाल हूँ जिनके कोई हल नहीं,
मैं वो नींद हूँ जिसे ख्वाब मुकम्मल नहीं।

मैं इश्क़ ऐसा जो भूला नहीं जा सकता,
मैं ही प्रेम और मैं ही द्वेष हो नहीं सकता।

मैं वो आँख हूँ जो रो नहीं सकती,
मैं वो गजल हूँ दर्द पिरो नहीं सकती।

मैं वो दरिया हूँ जो ठहर नहीं सकता,
मैं वो वक़्त हूँ जो गुज़र नहीं सकता।

या तो मैं अनंत हूँ या अंत,
या तो मुझसे सब है या सबसे मैं।

या तो मैं ये सब हूँ,
या फिर कुछ भी नहीं।

एक कहानी में कई किरदार जीने की आस है मुझे,
या फिर उन सबमें बस अपने सच की तलाश है मुझे।



कृषक जीवन

राहुल राज
लेखाकार

प्रथम किरण का आना बाकी, जगा मगर वो खेत चला ।
वह किसान पालक सब जन का, दिन भर भूखे पेट चला ॥
नहीं पालता कुत्ते – बिल्ली, बैलो से है प्यार उसे ।
मोह नहीं सोने-चाँदी का, मिट्टी देती प्यार उसे ॥
नहीं कमाई ज्यादा इसमें, मगर कृषक जनहित करता ।
झुलस भीगकर काँप-हाँफकर, नंगे तन दुख सहता ॥
जौ पालक मक्के दी रोटी, खेतों से ही मिल पाए ।
झूम उठे मन भी किसान का, पके धान जब लहराएं ॥
लेकिन जीवन दुखमय उनका, उनकी भी आवाज़ बनो ।
पीड़ा अपनी मन में रखते, अब तक जो न कह पाए ॥



अधूरा मन

शिवांकू चतुर्वेदी
लिपिक

एक अधूरा सा मन है
क्योंकि तुझसे अनबन है
इस जगह पर हाथ न छोड़ो
यहाँ दो नदियों का संगम है।

है दुनिया की सब बातें झूठी
बस अपना मन ही दर्पण है
है राजा रंक सब परेशान
संतोष में सिर्फ साधु मन है।

मेरे प्यार का इससे ज्यादा
और कोई गवाह नहीं
की तेरे हाथ में मेरे यार
मेरी माँ के कंगन हैं।

दुनिया देश सभी घूम आना
पर प्यारा घर का आँगन है
कि हम तेरे न होकर भी तेरे है
तुझसे न जाने कैसा ये बंधन है।

एक अधूरा सा मन है
क्योंकि तुझसे अनबन है
इस जगह पर हाथ न छोड़ो
यहाँ दो नदियों का संगम है।



गाँव याद आता है

हिमांशु पटेल
डी.ई.ओ

बहुत कुछ याद आता है, मैं कुछ न भूल पाता हूँ,
महीनों बाद जब भी मैं लौटकर गाँव जाता हूँ।

हरे भरे मैदान वहाँ पर, बचपन बीता करता था,
दिन भर क्रिकेट मैच, शाम को गुल्ली डंडा होता था।

वो खेल कहाँ अब खेलें हम, दोस्त यहाँ न वैसा था,
समय नहीं था पास किसी के, पास सभी के पैसा था।

याद ज़हन में गलियां अब तक, भर भर यादें लाती हैं,
भूलूँ कैसे उन बातों को, जो शाम सवेरे आती हैं।

जीवन का आरंभ वही था, वहीं पर सपने देखे थे,
उन सपनों को पूरा करने, और भी सपने देखे थे।

याद पुरानी आई जब-जब, सिसक-सिसक कर रोया मन,
गाँव छूट गया अपना, हाथ छूट गया अपना बचपन।

छूट गए कुछ दोस्त वहाँ के, फीकी पड़ गई थी यारी,
थी आस पास जिसकी चर्चा, ऐसी थी कुछ अपनी यारी।

रहते हैं सब पास यहाँ पर, पर जाने कैसी दूरी है,
क्या बोलूँ किससे बोलूँ शायद सबकी यही मजबूरी है।

फर्क साफ था यहाँ वहाँ में, बात खास न इतनी थी,
अंतर केवल इतना था, यह मिट्टी लगती अपनी सी, वह मिट्टी केवल अपनी थी।



दाता

उदय प्रताप सिंह
हिंदी अधिकारी

पेड़ों को मत काटो भाई,
ये दाता हैं जीवन दायी।
ये सर्वस्व निछावर करते,
देते अपनी पाई-पाई।

ये वसुधा की रक्षा करते,
यही विश्व की पूंजी पाई।
पूरी प्रकृति पिता है इनकी,
वर्षाऋतु है इनकी माई।

जीवन की खुशियाँ है इनसे,
अर्थहीन जीवन बिन इनके।
सब फल-फूल इन्हीं से मिलते,
जिनसे सबके चेहरे खिलते।

ये जीवन की आस हैं भाई,
यह मेरा विश्वास है भाई।
पेड़ों को मत काटो भाई,
ये दाता हैं जीवन दायी।

खुशबू देते न्यारी- न्यारी,
सबको लगती प्यारी-प्यारी।
जड़ी-बूटियाँ और दवाई,
मुफ्त में सबको देते भाई।

ये सभी पक्षियों का आवास,
सब रहना चाहें इनके पास।
यही मिटाते भूख हमारी,
यही मिटाते सब की प्यास।

सूरज जब ऊपर चढ़ जाता,
राही इनकी छाँव में आता
मीठे फल वह इनके खाता,
बदले में क्या कुछ दे जाता।

नवीन गतिविधियाँ

एक छायाचित्र



दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन - 2024



माननीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र एवं अन्य पदाधिकारिओं द्वारा द्वीप प्रज्वलन

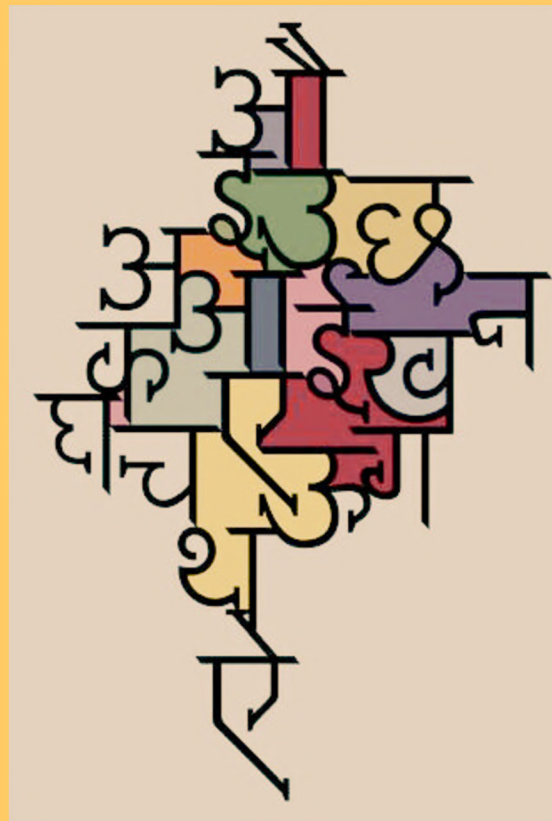


माननीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र द्वारा संबोधन

सम्मेलन में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक एवं
वहाँ उपस्थित हिंदी अनुभाग के पदाधिकारी



मुख्यालय निरीक्षण के दौरान उपस्थित पदाधिकारी



महालेखाकार (ले. व ह.) कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की गई टेबल टेनिस भर्ती प्रक्रिया की कुछ झलकियाँ





कार्यालय द्वारा यौन उत्पीड़न पर संगोष्ठी का आयोजन



संगोष्ठी में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

संगोष्ठी में उपस्थित अधिकारी एवं पदाधिकारी



संगोष्ठी को संबोधित करती श्रीमती माधवी के., उप महलेखाकार

संगोष्ठी को संबोधित करते
श्री सोबियस मैथ्यू, सहायक लेखाधिकारी



दिसम्बर 2023 में सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारियों के साथ महालेखाकार (ले. व ह.) एवं उप महालेखाकार



फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के साथ
महालेखाकार (ले. व ह.) एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी





सेवानिवृत्त पदाधिकारी (नवम्बर 2023 - मार्च 2024)

क्र. सं	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त दिनांक
01.	शशीधर एस.	पर्यवेक्षक	30.11.2023
02.	तारामती के.	सहायक लेखाधिकारी	31.12.2023
03.	सुधामलिनी एस.	पर्यवेक्षक	31.12.2023
04.	शशीधर राव एन	वरिष्ठ लेखाकार	31.12.2023
05.	नागराज मोटाइयाह	एम टी एस	31.12.2023
06.	रीना मुखर्जी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	31.12.2023
07.	रोहिणी के. एस.	वरिष्ठ लेखाकार	31.01.2024
08.	श्रीनिवासन जे.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	29.02.2024
09.	राजश्री डी एस	सहायक लेखाधिकारी	29.02.2024
10.	कमलम एन	सहायक लेखाधिकारी	29.02.2024
11..	जयश्री राज के एन	सहायक लेखाधिकारी	29.02.2024
12.	रूबन मित्रा जे.	सहायक पर्यवेक्षक	29.02.2024
13.	जया एन.	सहायक पर्यवेक्षक	31.03.2024



कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांश

क्रम सं०	हिंदी वाक्यांश	अंग्रेज़ी रूपांतरण
01.	जाँच की और सही पाया।	Checked and found correct
02.	अनुमोदित	Approved
03.	बिल पास कर दिये गए	Bills passed
04.	मामला विचाराधीन है	Case is under consideration
05.	निर्णय की प्रतीक्षा है	Decision is awaited
06.	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है	Brief note is placed below
07.	अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र की जाए	Follow up action should be taken soon
08.	आगे की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	Further report is awaited
09.	तदनुसार सूचित करें	Inform accordingly
10.	कृपया प्राप्ति की सूचना दें	Please acknowledge receipt
11.	स्थिति की समीक्षा की जा रही है	Position is being reviewed
12.	प्रस्ताव स्वीकार है	Proposal accepted
13.	उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करें	Put up draft
14.	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	Report is awaited
15.	देख लिया, धन्यवाद	Seen, thanks
16.	अनुमोदन के लिए प्रस्तुत	Submitted for Approval
17.	अवलोकन के लिए प्रस्तुत	Submitted for perusal
18.	आदेश के लिए प्रस्तुत	Submitted for orders
19.	यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए	Action may be taken as proposed
20.	देखकर वापस किया जाता है	Seen and returned

रोचक पहेलियाँ

1. हरी झंडी लाल कमान, तौबा-तौबा करे इंसान।
2. नाक पर चढ़कर कान पकड़कर, लोगों को है पढ़ाती।
3. हरे हरे से हैं दिखे, पक्के हो या कच्चे, भीतर से यह लाल मलाई जैसे ठंडे मीठे लच्छे।
4. काला घोड़ा सफ़ेद की सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी ।
5. अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर है आग और तन में है पानी।
6. एक दीवार दूसरी दीवार से कहाँ पर मिलती है?
7. हमेशा आपके सामने रहता हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता, बताओ कौन हूँ मैं?

1. मिर्च 2. चश्मा 3. तरबूज 4. तवा और रोटी 5. मोमबत्ती 6. कोने पर 7. भविष्य

देखो हस न देना



टीचर- इतने दिन कहां थे, स्कूल क्यों नहीं आए?

गोलू- बर्ड फ्लू हो गया था मैम।

टीचर- पर ये तो पक्षियों को होता है इंसानों को नहीं।

गोलू- इंसान समझा ही कहां आपने...रोज तो मुर्गा बना देती हो...!!

ये वो दौर है जनाब
जहां इंसान गिर जाये तो
हँसी निकल जाती है
और मोबाईल गिर जाये तो
जान निकल जाती है

जज : घर में मालिक होते हुए तूने चोरी कैसे की?

चोर : साहब, आपकी नौकरी अच्छी है, और सैलरी
भी अच्छी है, फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे?

पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था
आलू ले लो आलू ले लो..
राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है.
पप्पू- चुप हो जा! वरना मक्खियां आ जाएंगी।

मास्टर जी - सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है?

चिट्टू - किताब में।

मास्टर जी - कैसे?

चिट्टू - क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है।

पापा - चिट्टू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो?

चिट्टू - पापा, कल स्कूल में हमें तौला गया था और क्या पता आज बेच ही न दें

मरीज- डॉक्टर साहब, क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है ?

दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि

डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे...

अंत में जब वह मरा तो पता चला कि उसे टायफाइड था।

डॉक्टर- चिन्ता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता।

हम अगर किसी का मलेरिया का इलाज करते हैं तो वह मलेरिया से ही मरता है !



महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय
पार्क हाउस रोड
बेंगलूरु, कर्नाटक
560001

<https://cag.gov.in/ae/karnataka/en>

चित्र : कब्बन पार्क